



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सीआईआर/911

02/01/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री और पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करने का विस्तार

अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5552: पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर (गुणवत्ता नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024

अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5553: मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री और पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 24 जून, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री पर राजपत्र अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पर राजपत्र अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें यह आपकी जानकारी के लिए है।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद